IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

क्रूरता एक विधिक अवधारणा

***श्री लक्ष्मण सिंह बाला**

शोधार्थी, माधव विश्वविद्यालय, राजस्थान

सांराश

क्रूरता शब्द की अभिव्यक्ति किसी भी क़ानून में परिभाषित नहीं है , प्रमुख बात यह है कि विवाह का समापन व तलाक़ के मामलों में क्रूरता ही विच्छेद आधार बनता है फिर भी इसकी विस्तृत व सटीक परिभाषा किसी भी क़ानून में आज भी उल्लेखित नहीं है।भारतीय समाज में विगत कुछ वर्षों में दहेज हेतु नव विवाहित स्त्रियों को प्रताड़ना के साथ-साथ उनकी हत्या सम्बन्धी अनेक मामलें प्रकाश में आये। अतएव इस बढ़ती हुई सामाजिक बुराई पर प्रभावकारी अंकुश लगाने हेतु इस प्रकार के विधायन की व्यवस्था की गयी है।परन्तु केवल कानूनी वदलाव इस समस्या का एकमात्र समाधान होकर सामाजिक बदलाव नहीं ला सकता है।

क्या एक वैवाहिक संबंध पूर्णत: सफल तभी होगा जहां पर कोई एक कोई एक पक्ष अपने अनुचित आचरण से दूसरे की गरिमा को ठेस पहुंचाता है शारीरिक प्रताड़ना देता है तो वहां दूसरे पक्ष को न्यायालय जाकर विवाह विघटन हेतु अर्जी दायर करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है क्रूरता की अवधारणा को एक सीमा नहीं बाधा जा सकता है। समय के साथ इसका स्वरूप बदलता है अतः बदलते हुए परिस्थितियों में अब नये सिरे से सोचने की जरूरत है।

कीवोर्ड: महिला, क्रूरता, विवाह, अपराध, अधिकार, समाज आदि।

प्रस्तावना

क्रूरता शब्द की अभिव्यक्ति किसी भी क़ानून में परिभाषित नहीं है , प्रमुख बात यह है कि विवाह का समापन व तलाक़ के मामलों में क्रूरता ही विच्छेद आधार बनता है फिर भी इसकी विस्तृत व सटीक परिभाषा किसी भी क़ानून में आज भी उल्लेखित नहीं है।

जब भी ऐसे विषयों पर विवाह विघटन करते समय न्यायाधीश को यह तय करना होता है कि प्रस्तुत मामले में सम्बंधित पक्षकार क्रूरता जन्य व्यवहार व आचरण से पीड़ित है या नहीं ,तो क्रूरतापूर्ण व्यवहार और आचरण के मात्रा, समय, परिस्थितिजन्य स्थिति और स्थान आदि के मापदंडों को भिन्न-भिन्न आधार पर तय कर निर्णय लिया जाता है। किसी मामले में किया गया पक्षकार का आचरण क्रूरता माना गया तो ये जरूरी नहीं कि ऐसे आचरण व व्यवहार को अन्य पूर्व या पश्चात के मामलों में भी क्रूरतापूर्ण व्यवहार के रूप में देखा जाए। इस तरह क्रूरता की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी जा सकती। यद्पि सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता शब्द व्याख्यायित किया है।

शोभारानी बनाम मधुकर रेड्डी[1] के वाद में सर्वोवच्य न्यायालय ने कहा कि क्रूरता का गठन करने वाले जिस आचरण की शिकायत पीड़ित द्वारा की गई है उसे गंभीर होना चाहिए और वैवाहिक जीवन के सामान्य क्रिया कलाप की अपेक्षा किसी गृह क्लेश, उत्पीड़न व शरीर पर पड़ने पर प्रभाव के बिना उनका साथ रहना असंभव हो।

क्रूरता की परिभाषा

क्रूरता शब्द निर्दयता, हिंसा, पीड़ा, क्षति, उत्पीड़न को दर्शाता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति कष्ट, पीड़ा पहुँचाने की स्थिति उत्पन्न करके उस परिस्थिति पर खुश होना, आनंद का अनुभव करना क्रूरता कहलाता है। क्रूरता में दर्द, पीड़ा, कष्ट का भाव सम्मिलित रहता है।

"क्रूरता" की कानूनी धारणा इंग्लैंड के हाल्सबरीज क़ानून[2] के अनुसार, जो क़ानून के द्वारा परिभाषित नहीं है, साधारणतया किसी चरित्र के इस प्रकार के व्यवहार, जिससे किसी को जान, अंगो या स्वास्थ्य का खतरा या ऐसे किसी खतरे के आभास होने की उचित आशंका के रूप में वर्णित किया है। क्रूरता के सम्बंधित कानूनों पर अर्न्तनिहित सिद्धांत इंग्लैंड[3] के निर्णय कानूनों एवं भारत में हालातों के आधार पर न्यायालयों एवं निर्णित वादों से एकत्र किया गया है। जिसके परीणामस्वरूप इंग्लैंड एवं भारत में मान्य कानूनी अर्थ यह है कि किसी प्रकार के व्यवहार, जिससे किसी को जान, अंगो या स्वास्थ्य का खतरा हो या ऐसे किसी खतरे के उत्पन्न होने की उचित आशंका हो।[4]

क्रूरता के विभिन्न रूप

क्रूरता किसी भी रूप में हो सकती है वह शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी, क्रूरता को वैवाहित जीवन के समापन का कारण माना गया है। जिसमें ऐसी प्रकृति के स्वैच्छिक अनौचित्यपूर्ण व्यवहार को देखा गया है जो व्यक्ति के जीवन और उसके स्वास्थ्य, शारीरिक अंग एवं मानसिक अवस्था को खतरा पहुचाने का कार्य करें या खतरे की आशंका का कार्य करें वह क्रूरता के दायरे में आता है जहां पहले भी इस तरह की प्रताड़ना को क्रूरता की श्रेणी में माना जाता था ।

परन्तु पहला प्रयास सन् 1897 में **रसल बनाम रसल** के वाद में किया गया क्रूरता ऐसा आचरण बताया गया कि जिसके द्वारा जीवन अंग या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक चोट पहुँचें या वैसी चोट पहुँचने की सम्भावना हो। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत क्रूरता स्थापित करने के लिए याचिकाकार को यह सिद्ध करना होता था कि प्रतिपक्षी ने उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया है जिसके कारण उसके मस्तिष्क में यह औचित्यपूर्ण आशंका घर कर गई है कि उसके साथ रहना उपहानिकर एवं क्षतिकर होगा।

[1] ए.आई.आर.1988 सु.को.121
[2] हाल्सबरी ला आफ इंग्लैड,थर्ड संस्करण,भाग 12,पृ.169
[3] मुल्ला, प्रिंसिपल आफ हिन्दू ला,चौदहवाँ संस्करण 1955,पृ.177
[4] ए.आई.आर.1987 सु.को.395

विशेष और विशिष्ट विधि के अन्तर्गत क्रूरता

हिन्दू विवाह अधिनियम,

1955 में आजादी के पश्चात् बनाए गए हिंदू विवाह अधिनियम में इसमें सिर्फ न्यायिक विच्छेद का आधार बनाया गया परंतु यह भी यगुलों को पर्याप्त राहत नहीं पहंचा सका। इसके बाद विधि आयोग ने अपनी 59 वीं रिपोट मेँ हिंदू विधि के प्रावधानों को आधुनिक बनाने तथा उनमें सामाजिक न्याय के आधार पर परिवतर्न करने पर बल दिया। परिणामस्वरूप 1976 में हिंदू विवाह (संशोधन) अधिनियम 1976 पास किया गया जिसमें "क्रूरता" को विवाह विच्छेद का एक मजबूत आधार बनाया गया।

विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा क्रूरता की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन यह है कि - ''प्रत्यर्थी ने अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया है।'' यह संशोधन ला कमीशन की सिफारिश पर किया गया है। ला कमीशन का कहना है कि अब अंग्रेजी विधि में क्रूरता का संप्रत्य में ''आशंका'' का कोई स्थान नहीं रह गया है, अतः हमें भी क्रूरता की परिभाषा को संशोधन कर लेना चाहिए। यह भिन्न बात है कि सन् 1976 में ला कमीशन ने 1950 के अंग्रेजी अधिनियम में दी गई परिभाषा को अपनाया है और 1973 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को नहीं। यह बड़े खेद का विषय है कि हम अंग्रेजी विधि की नकल अभी भी करने में लगे हैं।

क्रूरता 1976 से पहले केवल न्यायिक पृथक्करण का ही आधार था किन्तु 1976 के बाद विवाह विघटन में भी इसको आधार माना गया । क्रूरता के आधार पर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) i (a) वैवाहिक जीवन का कर्तव्यपूर्ण व्यवहार नहीं होने पर तलाक का प्रावधान करती है।

दाम्पत्य जीवनयापन में क्रूरता, अन्यायपूर्ण आचरण, छोटे बड़े झगड़ों भावभंगिमाओं, शब्दों, हिंसात्मक व्यवहार, खामोशी, पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुहँ मोड़ना से लेकर अनन्त प्रकार की हो सकती है। क्रूरता की घटना में दहेज की मांग में बकाया रकम के लिए पत्नी के साथ उत्पीड़ित व्यवहार किया जाना जो कि भारतीय दडं सहिता धारा 498- क के खंड (ख) के अंतर्गत क्रूरता का निर्माण करता है। **समीर सामंत बनाम राज्य**[5] में इसे स्पष्ट के रूप में वर्णित किया गया है ,विवाह विघटन का आधार हो सकता है।

क्रूरता शब्द भारतीय विधान द्वारा कहीं में उल्लेख नहीं मिलता है।क्रूरता को ठीक से परिभाषित करना मुश्किल है एवं विधानमंडल इसे एक सूत्र के रूप में व्याख्या करने से जानबूझकर बचते रहे हैं, क्योंकि कोई कार्य या आचरण जिसमें एक मामले में क्रूरता माना जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसे किसी और मामले में भी ऐसा ही माना जाये।

कुसुमलता बनाम कामता प्रसाद[6] में न्यायाधीश ने किसी एक पति या पत्नी के प्रति विधि की दृष्टि से 'क्रूरता' पद के अर्थ पर विचार करते हुए हेल्सबरीज लॉज़ आफ इंग्लैण्ड[7], में दी गयी परिभाषा का सन्दर्भित किया है ।

[5] कलकत्ता ,क्राइम(1991)पृ.209

[6] ए.आई.आर.1965 इलाहाबाद 280

[7] भाग 12, तृतीय संस्करण, पृ.270

"सभी प्रकार की क्रूरता के सम्बन्ध में साधारण नियम यह है कि समस्त वैवाहिक संबंधों पर विचार किया जाना आवश्यक है और इस नियम का उस समय विशेष महत्व होता है, जब क्रूरता हिंसात्मक कार्यो के रूप में नहीं होती, बल्कि क्षतिपूर्ण भत्सनाओ, परिवादों, शिकायतों, आरोपों या कटाक्षों के रूप में होती है। न्यायाधीश को कोई निष्कर्ष निकालने के पूर्व पति या पत्नी के व्यक्तित्व और आचरण से पत्नी या पति के मस्तिष्क पर होने वाले प्रभाव पर अवश्य विचार करना चाहिए और इस दृष्टि से पति और पत्नी के बीच हुयी सभी झगड़ों और घटनाओं पर विचार करना चाहिए। यह अवधारित करने के लिए कि क्रूरता जिससे गठित होती है, वह पक्षकारों की शारीरिक और मानसिक दशा को और उनके चरित्र को तथा सामजिक हैसियत को सदैव दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्येक मामलों में विशेष परिस्थितियों को, ध्यान में रखना चाहिए।"

भारतीय दंड संहिता

भारत में वैवाहिक क्रूरता को धारा 498-क के रूप में भा.द.संहिता में परिभाषित किया गया है। वैवाहिक क्रूरता एक संज्ञेय, गैर संगत एवं गैर जमानतीय अपराध है।

498-क के अंतर्गत जो कोई भी पति या किसी महिला के पति के रिश्तेदार होने के नाते, उसे क्रूरता के अधीन करता है उसे के लिए कारावास के साथ-साथ जुर्माना सम्बन्धी दण्ड का भी प्रावधान है।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, "**क्रूरता**" का अर्थ है:

(ए) ऐसे आशय का कोई भी आचरण जो महिला को आत्महत्या करने या जीवन के खतरे या गंभीर चोट के कारण बनने की संभावना है वह चाहे मानसिक हो या शारीरिक या

(बी) उस महिला का उत्पीड़न जहां ऐसी उत्पीड़न से किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए उससे संबंधित ऐसी मांग का किया जाना जो किसी भी व्यक्ति की विफलता का कारण बनता है।[8]

महिलाओं के खिलाफ दहेज की मौतों निपटने के लिए इस खंड को अधिनियमित किया गया था। इसे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1983 विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के उकसाने के संबंध में धारा 113-ए को भारतीय साक्ष्य कानून में जोड़ा गया है। आईपीसी की धारा 498-क का उद्देश्य एक ऐसी महिला की रक्षा करना है जिसे पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।

304-ख. दहेज मृत्यु - (1) जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिये, या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहाँ ऐसी मृत्यु को ''दहेज मृत्यु'' कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण -इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ''दहेज'' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

[8] भा.द.संहिता,रतनलाल एवं धीरजलाल, 30वां संस्करण 2008 ,पृ.917

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।,

यह धारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, (अधिनियम संख्या 43) 1906 द्वारा जोडी गयी है। यह धारा किसी स्त्री के पति अथवा पति के सम्बन्धियों या नातेदार, रिश्तेदार द्वारा उस स्त्री की दहेज सम्बन्धी मृत्यु कारित करने को अपराध रूप में दण्डित करती है। भारतीय समाज में विगत कुछ वर्षों में दहेज हेतु नव विवाहित स्त्रियों को प्रताड़ित एवं तंग के मामलों के साथ-साथ उनकी हत्या सम्बन्धी अनेक मामलें प्रकाश में आये। अतएव इस बढ़ती हुई सामाजिक बुराई पर प्रभावकारी अंकुश लगाने हेतु इस प्रकार के विधायन की व्यवस्था की गयी है।

यह धारा भारतीय दण्ड संहिता में धारा 1986 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई । धारा 304-ख की उपधारा (1) दहेज मृत्यु को परिभाषित करती है।

इसके आवश्यक तत्व - इसके निम्न आवश्यक तत्व हैं -

(1) मृत्यु जलने के द्वारा अथवा शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गई हो अथवा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा घटित हुई हो।

(2) मृत्यु विवाह से सात वर्ष के अन्दर की अवधि में घटित हुई हो।

(3) यह दर्शाता जाना आवश्यक है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके पति अथवा पति के किसी सम्बन्धी द्वारा उस महिला के साथ क्रूरता की गई हो।

(4) ऐसी क्रूरता अथवा तंग किया जाना दहेज के लिये अथवा दहेज की किसी मांग के सम्बन्ध में की गई हो।

(5) इस धारा के प्रयोजनों हेतु दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में अभिप्रेत है।

इस धारा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, जिसे दण्ड संहिता के सामान्य लक्षणों से भिन्न कहा जा सकता है वह यह हैं कि इस अपराध हेतु 7 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास के दण्ड का विधान किया गया है परन्तु यह दण्ड कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक कारावास तक हो सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के लागू किये जाने हेतु आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं -

1. महिला की मृत्यु जलने से या शारीरिक क्षति या स्वाभाविक परिस्थितियों से भिन्न रूप में होनी चाहिये।
2. ऐसी मृत्यु उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर होनी चाहिये।
3. उसके साथ पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या प्रपीडन का व्यवहार किया गया हो।
4. ऐसी क्रूरता या प्रपीड़न दहेज की मांग या उसके सम्बन्ध में होनी चाहिये य
5. ऐसी क्रूरता या प्रपीड़न महिला के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व किया गया हो।

यह भी निर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख को संयुक्त रूप से पढने पर यह दर्शित होता है कि मृत्यु से ठीक पूर्व घटना की शिकार के साथ क्रूरता या प्रपीड़न किया गया था। अभियोजन को स्वाभाविक या दुर्घटनावश मृत्यु की संभावना का खण्डन करना चाहिये, जिससे कि मृत्यु को सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिक्षेत्र के भीतर लाया जा सके। दहेज मृत्यु के मामले में उपधारणा यह है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

जब सवाल यह हो कि क्या किसी व्यक्ति ने एक महिला की दहेज सम्बन्धी मौत की है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से बहुत पहले की महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके नातेदारो, रिश्तेदारो के द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन किया गया है, या दहेज के लिए किसी भी मांग के साथ संबंध, तो वहां पर अदालत का मानना होगा कि इस तरह व्यक्ति की मौत को दहेज की मौत का कारण बना दिया था। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम[9] की धारा 113-ए उल्लिखित है ।

स्पष्टीकरण- इस खंड के उद्देश्य के लिए 'दहेज मृत्यु' का अर्थ दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-बी में समान अर्थ होगा। जिस वस्तु के लिए धारा 498-क आईपीसी पेश की गई थी, वह 1983 के आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम संख्या 46 को लागू करते समय वस्तुओं और कारणों के सम्बन्ध में काफी हद तक परिलक्षित होता है। जैसा कि स्पष्ट बताया गया है कि दहेज की मांग करना मौतों का बढ़ना है। दहेज प्रोहिबिशन एक्ट, 1961 के काम की जांच करने के लिए सदनों की संयुक्त समिति बनाई गई थी। क्रूरता से संबंधित असहाय महिला का, जो इस तरह की क्रूरता से जुड़े केवल एक छोटे से अंश का गठन करता है इसलिए, आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन और प्रस्तावित अधिनियम को उचित रूप से दहेज की मौत के मामलों के साथ समाधान हेतु प्रस्तावित किया गया था, लेकिन शादी के लिए क्रूरता के मामले भी पति, ससुराल वालों द्वारा महिलाएं स्वीकृत वस्तु, दहेज की मौत और क्रूरता का कारण बना जो खतरे का मुकाबला करने के समान है।[10]

इस खंड के प्रयोजन के लिए उत्पीड़न का कार्य क्रूरता के लिए होगा। इस खंड के अर्थ में क्रूरता की मात्रा में दहेज और दहेज की मांग के साथ पति की पीने और देर से आने वाली आदतों को लिया गया है, लेकिन इस खंड में एक पति शामिल नहीं किया गया है जो केवल नियमित रूप से पीता है और घर देर से आता है ।[11] सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले में यह पाया कि इस पीठ ने वैवाहिक जीवन में क्रूरता की अवधारणा को एक नया आयाम दिया है और यहां वर्णित आचरण का प्रकार क्रूरता साबित करने के लिए प्रासंगिक होगा।

कुछ मामले में जिसमें चिकित्सक ने शव परीक्षा किया था उसने पाया कि रक्तयुक्त स्त्राव उसके मुंह के छोर से टपक रहा था और मस्तिष्क के तत्व संकीर्ण हो गये थे। दुर्भाग्यवश चिकित्सक ने गले पर पाए गये निशानों और मुंह से हो रहे रक्त मिश्रित स्त्राव पर ध्यान नहीं दिया। प्रतिरक्षा द्वारा मृतका की गर्दन पर पाए गये खरोंच के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह दर्शित करने के लिये कुछ भी नहीं था कि मृत्यु स्वाभाविक थी, इसलिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के अधीन पति की दोष सिद्धि न्यायोचित्त थी।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

भारत की संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू इस क़ानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में शारीरिक दुव्र्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैगिंग दुव्र्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुव्र्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुव्र्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय

[9] भारतीय साक्ष्य अधिनियम1872, रतनलाल एवं धीरजलाल, 21वां संस्करण,2009,पृ.560

[10] सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ,2005, सु.को.266

[11] जगदीश चंद्र बनाम हरियाणा एंव पंजाब ,1988, क्रि.ला.ज.1048

संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, मानसिक रूप से परेशान करना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं।किसी भी घरेलू सम्बंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे (1) आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है, या (2) मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा और क्रूरता है ।

इसके अलावा घरेलू सम्बन्धों या नातेदारी में, किसी भी तरह का व्यवहार

- शारीरिक दुरुपयोग (जैसे मार-पीट करना, थप्पड़ मारना, दाँत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि),
- लैंगिक शोषण (जैसे बलात्कार अथवा बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक सम्बंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार, और बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार),
- मौखिक और भावनात्मक हिंसा (जैसे अपमानित करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी न करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह न करने देना या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना इत्यादि),
- आर्थिक हिंसा (जैसे आपको या आपके बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन न देना, आपको अपना रोज़गार न करने देना, या उसमें रुकावट डालना, आपकी आय, वेतन इत्यादि आपसे ले लेना, घर से बाहर निकाल देना इत्यादि), भी घरेलू हिंसा है।

आज समाज में समय के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य बदलने से मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी सामने आ रही हैं। कानून में क्रूरता को विवाह विघटन का आधार बनाया गया है ताकि वैवाहिक जीवन में रिश्तों के बीच औचित्यपूर्ण व्यवहार व आचरण बना रहे। दांपत्य जीवन में पति और पत्नी के रिश्ते में बिना कोई मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के शांतिपूर्ण गरिमामय जीवन का निर्वहन हो सके इससे बड़ी कोई जीवन की उपलब्धि नहीं होगी एक वैवाहिक संबंध पूर्णत: सफल होगा किंतु जहां पर कोई एक कोई एक पक्ष अपने अनुचित आचरण से दूसरे की गरिमा को ठेस पहुंचाता है शारीरिक प्रताड़ना देता है तो वहां दूसरे पक्ष को न्यायालय जाकर विवाह विघटन हेतु अर्जी दायर करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है

इस प्रकार, यह देखा गया है कि क्रूरता की अवधारणा स्थिर नहीं है। बदलते समय के साथ इसमें बदलाव आया है। क्रूरता के दायरे में कई चीजों को शामिल किया गया है। अब क्रूरता केवल शारीरिक क्रूरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक क्रूरता को भी शामिल किया गया है और क्रूरता की अवधारणा को एक सीमा नहीं बाधा जा सकता है। समय के साथ इसका स्वरूप बदलता है अतः बदलते हुए परिस्थितियों में अब नये सिरे से सोचने की जरूरत है, केवल कानूनी वदलाव इस समस्या का एकमात्र समाधान होकर सामाजिक बदलाव नहीं ला सकता है ।